<u>निधि में शामिल होने की पात्रता हेतु</u>

सभी सरकारी स्थायी और अस्थायी कर्मचारी नियमित रूप से स्थापना से वहन करते हैं/ जुड़े हुए हैं एवं आकस्मिकताओं से भुगतान नहीं करते हैं, वे ही निधि में अभिदान करेंगे । अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ही अभिदान करेंगे।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसकी आवश्यकता नहीं है या अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाता बनाने/ अभिदान करने की अनुमति दी गई है, वे निधि में अभिदाता के रूप में शामिल होने या अभिदान जारी रखने के लिए पात्र नहीं होंगे, जबकि वे ऐसी निधि में अभिदाता बनाने का अपना अधिकार जारी रखते हैं।

किसी कर्मचारी द्वारा एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद, इस योजना में शामिल होना अनिवार्य है। वर्ग 'ख' और 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाता/लेखा संख्या को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग के द्वारा आबंटित किया जाता है। तथापि, वर्ग 'क' अधिकारियों के संबंध में, सामान्य भविष्य निधि खाता/लेखा संख्या महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), असम के कार्यालय द्वारा आबंटित की जाती है।

खाता/लेखा संख्या के आबंटन से पहले भविष्य निधि की अभिदान राशि की कटौती वेतन बिलों से नहीं की जानी चाहिए |

सामान्य भविष्य निधि खाता/लेखा संख्या प्राप्त करने हेतु एवं इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन एक वर्ष की सेवा पूरी होने से कुछ सप्ताह पहले, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग को भेजा जाना चाहिए ।

यदि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग से सामान्य भविष्य निधि खाता/लेखा संख्या प्राप्त करने में विलम्ब होता है, तो वर्तमान सामान्य भविष्य निधि हेतु अभिदान के साथ साथ प्रत्येक महीने की बकाया अभिदान को एक किस्त के रूप में कटौती की जाएगी |